

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 36 of 2017

Dist.: Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

Sri Pritam - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar. - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :

For the OP :

ORDER

06.09.2018

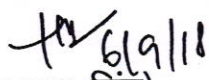
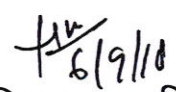
यह सेवा अपील श्री पृतम, सहायक, शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 1585 दिनांक- 10.02.2017 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

श्री पृतम, सहायक (औपबंधित सिविल लिस्ट सं०- 1830) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 229 दिनांक- 24.02.2016 द्वारा विहित प्रपत्र- 'क' के न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में ससमय संचिका उपस्थापित नहीं करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य अभिलेख विभागीय ज्ञापन सं०- 4546 दिनांक- 29.03.2016 द्वारा आरोपी श्री पृतम को उपलब्ध कराया गया एवं उनसे इस संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई। तदनुसार श्री पृतम का बचाव अभिकथन दिनांक- 04.04.2016 को प्राप्त हुआ जिसमें आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित 3
	आरोपित पदाधिकारी द्वारा आरोपों को अस्वीकार किये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17/19 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय विभागीय आदेश सं०-7637 दिनांक- 30.05.2016 द्वारा लिया गया। श्री पृतम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोपी पदाधिकारी का अभिकथन, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी का अभिकथन की विस्तृत समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2005 के नियम-14 में निहित प्रावधान के तहत श्री पृतम, सहायक (औपबंधिक सिविल लिस्ट सं०-1830), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसुचित किया गया- (क)- “निन्दन”। (ख)- असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक। सभी पक्षों को सुना। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि वो अपील में आये हैं साथ ही इसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय में Writ दायर किये हैं जो विचाराधीन है। साथ ही उन्होंने संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया कि “संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक- 30.03.2015 से 19.01.2016 तक संचिका प्रभारी पदाधिकारी श्री अजीत कुमार के कोषांग में पड़ी रही जिसपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी। अतः नियंत्री पदाधिकारी श्री अजीत कुमार की संलिप्तता भी परिलक्षित होता है”। आरोप गठित करने वाले पदाधिकारी के उक्त मन्तव्य से भी स्पष्ट है कि संचिका दिनांक- 30.03.2015 से 19.01.2016 तक करीब 10 महीना श्री अजीत कुमार अवकाश रक्षित पदाधिकारी के पास लंबित रहा। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का मन्तव्य एवं उपलब्ध साक्ष्य एवं आरोपी के स्पष्टीकरण की समीक्षा से स्पष्ट हो रहा है कि श्री अजीत कुमार, अवकाश रक्षित पदाधिकारी ही पूर्ण रूप से दोषी है।	



आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	सामान्य प्रशासन विभाग को निदेश दिया जाता है कि श्री अजीत कुमार जिनके पास संचिका पड़ी रही के विरुद्ध कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग को निदेश दें। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक- 712 दिनांक- 18.04.2016 द्वारा मन्तव्य दिया गया कि “संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक- 30.03.2015 से 19.01.2016 तक संचिका प्रभारी पदाधिकारी श्री अजीत कुमार के कोषांग में पड़ी रही जिस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी। अतः श्री अजीत कुमार की संलिप्तता भी परिलक्षित होता है”। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०-4 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। श्री पृतम का यह कहना कि संचिका प्रधान सचिव द्वारा खोजे जाने पर मेरे पटल पर रख दिया गया। परन्तु श्री पृतम द्वारा अपने टिप्पणी दिनांक- 20.01.2016 में यह तथ्य अंकित करते हुए संचिका उपस्थापित किया जाना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। अतः इस मामले में श्री पृतम की लापरवाही से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	